



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1062) पटना, मंगलवार, 14 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर 2017

अधिसूचना संख्या 43/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 271, दिनांक 14 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 4/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, संख्या 547, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

1. तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति”;
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-43)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

14 नवम्बर 2017

एस०ओ० 272, एस०ओ० 271 दिनांक 14 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-43)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 14th November 2017**Notification No.43/2017-State Tax (Rate)**

S.O. 271 dated 14th November 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.4/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 547, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person”.
------	------	------------	---------------	-------------------------

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-43)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary**Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)1062-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>